न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नामः—जाकिर हुसैन (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 24/2019 (धारा 14 सिक्योरिटाइजेशन)

भारतीय स्टेट बैंक शाखा—गुरूसर मोडिया तहसील पीलीबगां जरिये श्री गोविन्द कुमार, प्राधिकृत अधिकारी/मुख्य प्रबन्धंक, भारतीय स्टेट बैंक, रिटेल क्षैत्रीय व्यवसाय कार्यालय—04 हनुमानगढ(राज)।

——प्रार्थी

विरूद्ध

मैसर्स गायत्री ईंट उद्योग जरिये प्रो. श्री हंसराज पुत्र बृजलाल निवासी चक—34 एम ओ डी, पोस्ट ऑफिस खोतावाली, गुरूसर मोडिया तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़।

——ऋणी

1. श्री मामचन्द उर्फ सुनील कुमार पुत्र श्री मामराज
2. श्री राजेन्द्र पुत्र श्री खेतपाल
3. श्री गंगासिह पुत्र श्री रामप्रताप
4. श्रीमति गीता देवी पत्नी श्री खेतपाल समस्त निवासी गॉव 34 एम ओ डी पोस्ट ऑफिस खोतावाली, गुरूसर मोडिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

——जमानतीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आदेश दिनांकः—23.01.2020

प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक शाखा—गुरूसर मोडिया तहसील पीलीबंगा के वकील श्री अमित कुमार को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। वकील ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि बैंक ने अप्रार्थीगण को नकद साख ऋण सुविधा अप्रार्थीगण की व्यवसायिक सम्पत्ति भूमि चक 34 एम ओ डी पत्थर नम्बर 29/261, किला नम्बर 25/0.253, 24/0.093, 16/0.253, 15/0.253, 14/0.080, 17/0.080 ग्राम पंचायत खोतांवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ(राज) (बैंक में उपलब्ध दस्तावेजो के अनुसार क्षेत्रफल 1.012 हैक्टेयर या 10120 वर्गमीटर) जो कि ऋणी एवं जमानती 1. श्री मामचंद उर्फ सुनील कुमार पुत्र श्री मामराज 2. श्री राजेन्द्र पुत्र श्री खेतपाल 3. श्री गंगासिह पुत्र श्री रामप्रताप 4. श्रीमति गीतादेवी पत्नी श्री खेतपाल निवासी गांव 34 एम ओ डी पोस्ट ऑफिस खोतावाली, गुरूसर मोडिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ के नाम से है जिसके विरूद्ध दिनांक

20.07.2013 को रूपये 20,00,000/—(अखरे बीस लाख रूपये मात्र) का ऋण भारतीय स्टेट बैंक शाखा—गुरूसर मोडिया, द्वारा प्रदान किया था।

भारतीय स्टेट बैंक शाखा—गुरूसर मोडिया द्वारा अप्रार्थीगण को नकद साख ऋण सुविधा के तहत प्रदत ऋण पर ब्याज और ऋण के भुगतान में चूक होने पर अतिरिक्त ब्याज एवं खर्चो के अदा करने की गारन्टी के रूप में ऋणी से आवश्यक दस्तावेजों का निष्पादन करके सम्पति पर प्रतिभूति हित से साम्यक बंधक किया है।

अप्रार्थीगण के द्वारा भारतीय स्टेट बैंक शाखा—गुरूसर मोडिया से ऋण की राशि प्राप्त करने के पश्चात अपने खाते को संतोषजनक तरीके से संचालित नहीं किया गया। अप्रार्थी ने माफिक इकरार किश्त एवं ब्याज की राशि समय पर जमा नहीं करवाने पर भारतीय स्टेट बैंक शाखा—गुरूसर मोडिया द्वारा अप्रार्थीगण का खाता रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के दिशा—निर्देशानुसार गैर—निष्पादनीय आस्ति (NPA) के रूप में दिनांक 30.04.2018 को वर्गीकृत किया गया।

अप्रार्थीगण द्वारा भारतीय स्टेट बैंक शाखा—गुरूसर मोडिया की बकाया रकम एवं ब्याज की राशि समय पर अदा नहीं किये जाने पर अप्रार्थीगण का ऋण खाता गैर—निष्पादनीय आस्ति (NPA) होने के पश्चात प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक शाखा—गुरूसर मोडिया ने अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अन्तर्गत मांग नोटिस दिनांक 15.05.2018 अप्रार्थीगण को देते हुए बकाया रकम 20,40,608/—रूपये (अखरे बीस लाख चालीस हजार छःसौ आठ रूपये मात्र) दिनांक 15.05.2018 तक का (ब्याज दिनांक 14.05.2018 तक का) व आगे का ब्याज एवं अन्य खर्चे अतिरिक्त मांग नोटिस मिलने से 60 दिन की अवधि में अदा करने का लिखा तथा इस नोटिस में यह भी लिखा कि अप्रार्थीगण द्वारा समयावधि में रकम अदा न किये जाने पर भारतीय स्टेट बैंक शाखा—गुरूसर मोडिया बकाया रकम की वसूली हेतु साम्यिक बंधकशुदा सम्पति से वसूल करेगा, जिसके तमाम हर्जे एवं खर्चे की जिम्मेवारी अप्रार्थीगण की होगी। मांग नोटिस प्राप्ति के बावजूद अप्रार्थीगण ने भारतीय स्टेट बैंक शाखा—गुरूसर मोडिया को बकाया रकम न तो अदा की और न ही नोटिस का कोई जबाव दिया।

प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक शाखा—गुरूसर मोडिया द्वारा अप्रार्थीगण को एक नोटिस अधिनियम 2002 की धारा 13 (4) के अन्तर्गत दिनांक 15.05.2018 को प्रेषित किया जिसमें साम्यिक बंधकसुदा सम्पति का कब्जा प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक शाखा—गुरूसर मोडिया को सुपुर्द करने का लिखा। अप्रार्थीगण इसके बावजूद भी ऋण की पूर्ण अदायगी प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक शाखा—गुरूसर मोडिया के समक्ष जमा नही करवायी गयी है और न ही साम्यिक बंधकशुदा सम्पति का कब्जा प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक शाखा—गुरूसर मोडिया को सुपुर्द किया है। इस संबंध में बैंक द्वारा अपना शपथ पत्र भी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किया है। प्रार्थी बैंक के पास साम्यिक बंधकशुदा रिहायशी अचल सम्पति— चक 34 एम ओ डी पत्थर नम्बर 29/261, किला नम्बर 25/0.253, 24/0.093, 16/0.253, 15/0.253, 14/0.080, 17/0.080 ग्रांम पंचायत खोतावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ(राज)(बैंक में उपलब्ध दस्तावेजो के अनुसार क्षेत्रफल 1.012 हैक्टेयर या 10120 वर्गमीटर) जो कि ऋणी एवं जमानती 1. श्री मामचंद उर्फ सुनील कुमार पुत्र श्री मामराज 2. श्री राजेन्द्र पुत्र श्री खेतपाल 3. श्री गंगासिह पुत्र श्री रामप्रताप 4. श्रीमति गीतादेवी पत्नी श्री खेतपाल निवासी गांव 34 एम ओ डी पोस्ट ऑफिस खोतावाली, गुरूसर मोडिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ के नाम से जिसका भौतिक कब्जा बैंक को दिलाये जाने तथा कानून व्यवस्था बनाये हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद मुहेया कराये जाने के आदेश फरमाये जावें।

प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक शाखा—गुरूसर मोडिया के वकील के कथनों पर मनन किया और पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। ऋणी एवं जमानती द्वारा प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक को ऋण राशि का भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत ऋणी एवं जमानती को नोटिस दिनांक 15.05.2018 भिजवाया जाना पाया गया। इसके पश्चात भी ऋणी एवं जमानती द्वारा ऋण राशि की

शर्तों के मुताबिक ऋण का भुगतान भारतीय स्टेट बैंक को नहीं करने पर The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत तथा भारतीय स्टेट बैंक के शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ऋणी द्वारा उक्त ऋण की सुविधा के एवज में भारतीय स्टेट बैंक के पास बंधकशुदा उक्त व्यवसायिक अचल सम्पति— चक 34 एम ओ डी पत्थर नम्बर 29 261 किला नम्बर 25/0.253, 24/0.093, 16/0.253, 15/0.253, 14/0.080, 17/0.080 ग्राम पंचायत खोतावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ(राज) बैंक में उपलब्ध दस्तावेजो के अनुसार क्षेत्रफल 1.012 हैक्टेयर या 10120 वर्गमीटर) जो कि ऋणी एवं जमानती 1. श्री मानचंद उर्फ सुनील कुमार पुत्र श्री मामराज 2. श्री राजेन्द्र पुत्र श्री खेतपाल 3. श्री गंगासिंह पुत्र श्री रामप्रताप 4. श्रीमति गीतादेवी पत्नी श्री खेतपाल निवासी गांव 34 एम ओ डी पोस्ट ऑफिस खोतावाली, गुरुसर मोडिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ के नाम से है, जिसका भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक को उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्ति हेतु प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक द्वारा चाहे अनुसार पुलिस सहायता संबंधित पुलिस थाना के माध्यम से नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ एवं प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 23.01.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़